न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या 55/15

राज किशोर सिंह आदि ---बनाम--- राम बहादुर आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 35 क 1 तथा 36 ग 2

दिनांक–14.07.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 35 क 1 तथा 36 ग 2 पेश है।

प्रार्थना पत्र 35 क 1 मय शपथ पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी जीत बहादुर सिंह द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी०, मृतक प्रतिवादी सं०– रामबहादुर के कायम मुकामी हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र 35 क 1 तथा 36 ग 2 पर प्रार्थी/प्रतिवादी जीत बहादुर सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त प्रार्थऩा पत्र पर बल नहीं देना है। अतः प्रार्थना पत्र 35 क 1 तथा 36 ग 2 पर बल न देने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–31 क 1 लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।

लंच बादः–

पत्रावली लच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 31 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र 31 क 1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1– राम बहादुर का देहान्त दिनांक 08.09.2018 को हो गयी है। मृतक राम बहादुर के कोई लड़का, लड़की व पत्नी नहीं है। प्रतिवादी सं०–2 व 3 ही मृतक के विधिक व जायज वारिसान है तथा मृतक के चल अचल सम्पत्ति पर काबिज व दखील है। ऐसे में वाद पत्र में संशोधन की याचना वादी द्वारा की गयी है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 33 ग 2 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी ने प्रतिवादी से मृतक की मृत्यु की दिनांक व वारिसानो के बावत सूचना मागी जिसकी प्रतिवादी ने दिनांक 10.05.2019 को सूचना दिया। आज अविलम्ब खर्चा आदि की व्यवस्था करके प्रार्थी आया और कायम मुकामी प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी जानबूझकर प्रार्थना पत्र कायम मुकामी प्रस्तुत करने में गलती नहीं किया है। ऐसे में मियाद अधिनियम की धारा 5 का लाभ देते हुए कायम मुकामी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी सं० 1– राम बहादुर का देहान्त दिनांक 08.09.2018 को हो गयी है जिनके कोई लड़का, लड़की

व पत्नी नहीं है। प्रतिवादी सं०–2 व 3 ही मृतक के विधिक व जायज वारिसान है जो मुकदमा उपरोक्त में पहले से पक्षकार है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा मियाद माफी हेतु प्रार्थना पत्र 33 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को जानकारी ना होने के कारण समय से कायम मुकामी प्रार्थना पत्र नहीं दी जा सकी। पत्रावली सन् 2015 से लम्बित चल रही है जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अपेक्षित है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जहाँ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब से प्रतिवादीगण को कारित क्षति का प्रश्न है तो इसकी भरपाई हर्जे पर सम्भव है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुण दोष पर पूर्ण व अंतिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 31 क 1 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०– 33 ग 2 200/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र कागज सं०– 31 क 1 स्वीकृत। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 20.07.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02520

Digitally signed by Ajay Kumar Mishra
Date: 2021.07.16 11:24:09 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court